

# विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का प्रस्तुतिकरण



मुख्य उद्यान अधिकारी, ऊधमसिंहनगर

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में कृषकों/उद्यमियों आदि को विभिन्न औद्यानिक गतिविधियों हेतु प्रदान की जाने वाली राज सहायता का विवरण।

राज्य सैक्टर:

क्र० सं०	योजना का नाम	उद्देश्य	देय राजसहायता	अधिकतमसीमा प्रति लाभार्थी (रूपये/संख्या/है० में)
1	पॉलीहाउस के पालीथीन बदलाव की योजना	कृषको के पाँच वर्ष से अधिक पुराने पॉलीहाउस की जीर्ण-शीर्ण पालीथीन बदलने हेत सहायता।	पॉलीथीन लागत रू० 50/ वर्गमीटर का 75 प्रतिशत	अधिकतम 4 हजार वर्गमीटर
2	पौधरोपण की योजना	सरकारी आवासों, कार्यालयों, स्कूलों, कृषकों आदि को निःशुल्क फल पौध वितरण।	शत् प्रतिशत	अधिकतम 5 पौधे प्रति लाभार्थी, संस्थाओं हेतु जमीन की उपलब्धताके अनुसार
3	मशाला की खेती की योजना	अदरक, हल्दी, लहसुन, मिर्च आदि की खेती को बढ़ावा देना।	भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान तक ही राज सहायता।	अधिकतम 2 है०
4	वर्मी कम्पोस्ट की योजना	जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु वर्मी कम्पोस्ट यूनिट निर्माण हेतु सहायता।	रू० 33300 प्रति इकाई की लागत का 75 प्रतिशत	1 इकाई प्रति लाभार्थी

# विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में कृषकों/उद्यमियों आदि को विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों हेतु प्रदान की जाने वाली राज सहायता का विवरण।

## राज्य सैक्टर

क्र० सं०	योजना का नाम	उद्देश्य	देय राजसहायता	अधिकतमसीमा प्रति लाभार्थी (रूपये / संख्या / है० में)
5	फसल बीमा योजना (मौसम आधारित)	औद्योगिक फसलों, आम, लीची, आलू, मटर, टमाटर का मौसम आधारित फसल बीमा कराना।	प्रीमियम का 50 प्रतिशत	निधारित प्रीमियम का 5 प्रतिशत
6	मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना	पॉलीहाउस के अन्दर सब्जी एवं पुष्पों का उत्पादन करना।	80 प्रतिशत (50% केन्द्रांश + 30% राज्यांश)	500 वर्गमीटर (रा०स०दर रू० 365.70 / वर्गमी०)
7	बगानों की जीर्णोद्धार की योजना	पुराने एवं अनुत्पादक बागानों का जीर्णोद्धार कर उत्पादन वृद्धि करना।	भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान तक ही राज सहायता।	2.0 है०
8	बोरवैल स्थापना की योजना	बोरवैल स्थापना हेतु सहायता (रू० 90000.00 / केन्द्रांश + रू० 10000.00 / राज्यांश प्रति इकाई)	रू० 1.00 लाख प्रति इकाई	1 इकाई

# विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में कृषकों/उद्यमियों आदि को विभिन्न औद्यानिक गतिविधियों हेतु प्रदान की जाने वाली राज सहायता का विवरण।

## राज्य सैक्टर

क्र० सं०	योजना का नाम	उद्देश्य	देय राजसहायता	अधिकतमसीमा प्रति लाभार्थी (रूपये/संख्या/है० में)
9	पौधशालाओं की स्थापना	0.2 है० से 1.0 है० तक नयी फल पौधशालाओं की स्थापना	15 लाख प्रति है० का 50 प्रतिशत	1.00 है०
10	बै-मौसमी सब्जी उत्पादन	बै-मौसमी सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु राज सहायता।	रु० 50000 प्रति है० का 75 प्रतिशत	1.00 है०
11	मधुमक्खी पालन	फलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए परपरागण एवं शहद उत्पादन हेतु 1 है० क्षेत्र में 4 मौन बक्सों को रखा जाना।	रु० 350 प्रति बॉक्स	अधिकतम 4 बॉक्स
		मौन बॉक्स मौन कालोनियों का वितरण	50 प्रतिशत या अधिकतम रु० 800 प्रति मौन बॉक्स	10 बॉक्स प्रति लाभार्थी
		मौन पालन का 07 दिवसीय प्रशिक्षण।	शत प्रतिशत	रु० 1050 प्रति लाभार्थी
12	मशरूम उत्पादन एवं विपणन की योजना	मशरूम उत्पादकों को पाश्चुराईज्ड कम्पोस्ट उपलब्ध कराना।	50 प्रतिशत	50 कु० प्रति लाभार्थी
		स्पॉन (बीज) वितरण।	50 प्रतिशत	25 किलो/लाभार्थी
		07 दिवसीय प्रशिक्षण।	निःशुल्क	रु० 1050 प्रति लाभार्थी

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में कृषकों/उद्यमियों आदि को विभिन्न औद्यानिक गतिविधियों हेतु प्रदान की जाने वाली राज सहायता का विवरण।

जिला योजना

क्र० सं०	योजना का नाम	उद्देश्य	देय राजसहायता	अधिकतमसीमा प्रति लाभार्थी (रूपये/संख्या/है० में)
1	उन्नत किस्म की रोपण सामाग्री का उत्पादन/ पौधालय विकास	फल पौध, सब्जी/आलू बीज के परिवहन पर राजसहायता	षत प्रतिशत	
2		नये उद्यानों की स्थापना हेतु पौध एवं निवेश वितरण	50 प्रतिशत	रु० 30 हजार प्रति है०
3		पौध सुरक्षा हेतु कीट/व्याधिनाशक एवं कुरमुला कीट नियंत्रण हेतु रसायनों का वितरण	60 प्रतिशत	रु० 5 हजार प्रति है० तक
4		औद्यानिक औजार वितरण	50 प्रतिशत	रु० 1200 प्रति औजार
5		फल पट्टी विकास	50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम रु० 30000 प्रति है०	0.1 है० से 2 है० तक प्रति बागान
6		पॉलीहाउस निर्माण	80 प्रतिशत	
7		मशरूम उत्पादन हेतु पाश्चुराईज्ड कम्पोस्ट पर राज सहायता	80 प्रतिशत	
8		मौन बाक्स वितरण	80 प्रतिशत	

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में कृषकों/उद्यमियों आदि को विभिन्न औद्यानिक गतिविधियों हेतु प्रदान की जाने वाली राज सहायता का विवरण।

## जिला योजना

क्र० सं०	योजना का नाम	उद्देश्य	देय राजसहायता	अधिकतमसीमा प्रति लाभार्थी (रूपये/संख्या/है० में)
8	फल सब्जियों को सुखाकर प्रसंस्करण की योजना	फल व सब्जियों का प्रसंस्करण	लाभ-हानि रहित	सर्विस चार्ज रू० 15 प्रति किग्रा०
9		फल व सब्जियों का प्रसंस्करण हेतु विभागीय फल संरक्षण केन्द्रों द्वारा 07 दिवसीय प्रशिक्षण	शत प्रतिशत	रू० 1050 प्रति प्रशिक्षणार्थी
10	प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास	उद्यान विकास-व्यक्तिगत उद्यानों की स्थापना हेतु पौध व निवेश विवरण	50 प्रतिशत	प्रति लाभार्थी 0.2 है० से 2 है० तक अधिकतम रू० 30000 प्रति है०
11		आलू विकास/उत्पादन हेतु बीज व निवेश वितरण	50 प्रतिशत	अधिकतम 25 हजार प्रति है०

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में कृषकों/उद्यमियों आदि को विभिन्न औद्यानिक गतिविधियों हेतु प्रदान की जाने वाली राज सहायता का विवरण।

बागवानी मिशन (एच.एम.एच.ई.एच.)

क्र० सं०	योजना का नाम	उद्देश्य	देय राजसहायता	अधिकतमसीमा प्रति लाभार्थी (रूपये / संख्या / है० में)
1	पौधशाला की स्थापना	छोटी पौधशाला (01 है० क्षेत्रफल) की स्थापना जिनका उत्पादन 25000 पौध प्रति है० प्रतिवर्ष होगा।	राजकीय हेतु 100 प्रतिशत एवं व्यक्तिगत हेतु 50 प्रतिशत	रू० 15 लाख
2	फल क्षेत्रफल विस्तार	नये उद्यानों की स्थापना कर, उत्पादन में वृद्धि करना। सामान्य—1. सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सहित। 2. सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली रहित। सघन— 1. सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सहित। 2. सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली रहित।	कुल लागत का 50 प्रतिशत रा०स० 3 वर्षों में 60:20:20 रू० 50000 प्रति है० रू० 30000 प्रति है० रू० 75000 प्रति है० रू० 50000 प्रति है०	4 है०
3	सब्जी क्षेत्रफल विस्तार	सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु संकर प्रजाति के बीज देकर क्षेत्रफल विस्तार कराना।	50 प्रतिशत अथवा रू० 25000 प्रति है०	2 है०

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में कृषकों/उद्यमियों आदि को विभिन्न औद्यानिक गतिविधियों हेतु प्रदान की जाने वाली राज सहायता का विवरण।

बागवानी मिशन (एच.एम.एच.ई.एच.)

क्र० सं०	योजना का नाम	उद्देश्य	देय राजसहायता	अधिकतमसीमा प्रति लाभार्थी (रूपये / संख्या / है० में)
4	मसाला क्षेत्रफल विस्तार	मसाला उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु बीज एवं कन्द उपलब्ध कराकर क्षेत्रफल विस्तार कराना।	50 प्रतिशत अथवा रू० 15000 प्रति है०	4 है०
5	पुष्प क्षेत्र विस्तार	पुष्प रोपण सामाग्री उपलब्ध कराना। खुले पुष्प डंडीयुक्त पुष्प बल्बयुक्त पुष्प	(कुल लागत का 50 प्रतिशत रा०स०) रू० 20000 प्रति है० रू० 50000 प्रति है० रू० 75000 प्रति है०	2 है०
6	मशरूम उत्पादन	मशरूम उत्पादन इकाई की स्थापना	कुल लागत रू० 20.00 लाख प्रति इकाई का 40 प्रतिशत	1 इकाई
7	पुराने उद्यानो का जीर्णोद्धार	पुराने उद्यानो का जीर्णोद्धार उत्पादन में वृद्धि करना	50 प्रतिशत या रू० 20000 प्रति है०	2 है०

# विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में कृषकों/उद्यमियों आदि को विभिन्न औद्यानिक गतिविधियों हेतु प्रदान की जाने वाली राज सहायता का विवरण।

## बागवानी मिशन (एच.एम.एच.ई.एच.)

क्र० सं०	योजना का नाम	उद्देश्य	देय राजसहायता	अधिकतमसीमा प्रति लाभार्थी (रूपये / संख्या / है० में)
8	जल प्रबन्धन व्यवस्था—ट्यूबवेल <a href="#">स्थापना</a>	सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु कृषकों को नये ट्यूबवेल की स्थापना हेतु रा०स० प्रदान करना	50 प्रतिशत अथवा रू० 90000 प्रति इकाई	1 इकाई
9	संरक्षित खेती ग्रीन हाउस निर्माण	संरक्षित वातावरण में सब्जी एवं पुष्पों की बागवानी को प्रोत्साहित करने हेतु रा०स० प्रदान करना	कुल लागत का 50 प्रतिशत	4 हजार वर्ग मी०
10	प्लास्टिक मल्ट्विंग	नमी को रोकने एवं प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा देने हेतु जमीन को प्लास्टिक सीट से ढकना।	36800 प्रति है० का 50 प्रतिशत	2 है०
11	संरक्षण खेती के लिये रोपण सामाग्री की व्यवस्था	सब्जी पौध पुष्प (अर्किड, एन्थोरियम) पुष्प (कारनेशन, जरबेरा) पुष्प (गुलाब)	रू० 140 प्रति वर्ग मी० का 50 प्रतिशत रू० 700 प्रति वर्ग मी० का 50 प्रतिशत रू० 610 वर्ग मी० का 50 प्रतिशत रू० 426 वर्ग मी० का 50 प्रतिशत	4000 वर्ग मी०
12	मौनपालन	फलों के उत्पादन बढ़ाने के लिये परपरागण एवं शहद उत्पादन हेतु मौनवंश पर रा०स० प्रदान करना	कुल लागत का 40 प्रतिशत या अधिकतम रू० 800 प्रति मौनवंश	50 मौनवंश

# विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में कृषकों/उद्यमियों आदि को विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों हेतु प्रदान की जाने वाली राज सहायता का विवरण।

## बागवानी मिशन (एच.एम.एच.ई.एच.)

क्र० सं०	योजना का नाम	उद्देश्य	देय राजसहायता	अधिकतमसीमा प्रति लाभार्थी (रूपये/संख्या/है० में)
13	औद्योगिकी में यन्त्रीकरण	<p>पॉवर ट्रिलर 6 एच०पी० तक</p> <p>पॉवर ट्रिलर 8 एच०पी० ऊपर</p> <p>ट्रैक्टर अप टू 20 एच०पी०</p> <p>स्वचालित यंत्र</p>	<p>लघु/सीमान्त अनु० जाति एवं अनु० जनजाति महिला 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार</p> <p>लघु/सीमान्त अनु० जाति एवं अनु० जनजाति महिला 50 प्रतिशत या अधिकतम 75 हजार</p> <p>लघु/सीमान्त अनु० जाति एवं अनु० जनजाति महिला 35 प्रतिशत या अधिकतम एक लाख</p> <p>लघु/सीमान्त अनु० जाति एवं अनु० जनजाति महिला 50 प्रतिशत या अधिकतम 1.25 लाख</p>	<p>सामान्य 40 प्रतिशत अधिकतम 40 हजार</p> <p>सामान्य 40 प्रतिशत अधिकतम 60 हजार</p> <p>सामान्य 25 प्रतिशत अधिकतम 75 हजार</p> <p>सामान्य 40 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख</p>
14	मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण	नवीनतम तकनीकी ज्ञान हेतु कृषक/महिलाओं का राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर प्रशिक्षण कार्यक्रम	राज्य के <a href="#">अन्दर-1000/दिन/प्रशिक्षणार्थी</a> (यात्रा देयक सहित) राज्य के बाहर-प्रस्ताव के अनुसार	
15	भ्रमण	नवीनतम तकनीकी ज्ञान हेतु कृषक/महिलाओं का राज्य के बाहर भ्रमण कार्यक्रम	प्रस्ताव के अनुसार	
16	तुडाई उपरान्त प्रबंधन हेतु	पैक हाउस निर्माण (9 मी० X 6 मी०)	50 प्रतिशत/2.00लाख/इकाई	1 इकाई

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में कृषकों/उद्यमियों आदि को विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों हेतु प्रदान की जाने वाली राज सहायता का विवरण।

## प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी0एम0के0वी0वाई0)

क्र० सं०	योजना का नाम	उद्देश्य	देय राजसहायता का प्रतिषत		अधिकतमसीमा प्रति लाभार्थी (रूपये / संख्या / है० में)
			केन्द्रांश	राज्यांश	
1	क्षेत्र विस्तार	पौधो की आवश्यकतानुसार जल एवं खाद का वितरण	सामान्य 45	लघु/सीमान्त 55	5 हेक्टेयर
	टपक (ड्रिप) सिंचाई	उनकी जड़ों तक पहुंचाते हुए कम समय में	45	55	25 प्रतिशत
	माइक्रो स्प्रिंकलर	अधिकतम क्षेत्र की सिंचाई खरपतवार नियंत्रण एवं गुणवत्तायुक्त उत्पादन एवं पैदावार में वृद्धि करना।	45	55	टॉप के रूप में
	मिनी स्प्रिंकलर		45	55	5 हेक्टेयर
	पोर्टेबल स्प्रिंकलर रेनगन		45	55	5 हेक्टेयर
					5 हेक्टेयर

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में कृषकों/उद्यमियों आदि को विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों हेतु प्रदान की जाने वाली राज सहायता का विवरण।

## परम्परागत कृषि विकास योजना (पी०के०वी०वाई०)

क्र० सं०	योजना का नाम	उद्देश्य	देय राजसहायता	अधिकतमसीमा प्रति लाभार्थी (रूपये/संख्या/है० में)
1	पी०के०वी०वाई०	जैविक खेती को बढ़ावा दिये जाने हेतु कलस्टर एप्रोच के माध्यम से जैविक निवेश वितरण	निःशुल्क	

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में कृषकों/उद्यमियों आदि को विभिन्न औद्यानिक गतिविधियों हेतु प्रदान की जाने वाली राज सहायता का विवरण।

## पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना

क्र० सं०	योजना का नाम	वास्तविक प्रीमियम दर	कृषक प्रीमियम दर	केन्द्रांश	राज्यांश
1	मटर	27 प्रतिशत	5 प्रतिशत	19.80 प्रतिशत	2.20 प्रतिशत
2	आलू	15 प्रतिशत	5 प्रतिशत	9 प्रतिशत	1 प्रतिशत
3	टमाटर	8 प्रतिशत	5 प्रतिशत	2.70 प्रतिशत	0.30 प्रतिशत
4	आम	23 प्रतिशत	5 प्रतिशत	16.20 प्रतिशत	1.80 प्रतिशत
5	लीची	22 प्रतिशत	5 प्रतिशत	15.30 प्रतिशत	1.70 प्रतिशत
6	अदरक	19 प्रतिशत	5 प्रतिशत	10 प्रतिशत	1.40 प्रतिशत

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में कृषकों/उद्यमियों आदि को विभिन्न औद्यानिक गतिविधियों हेतु प्रदान की जाने वाली राज सहायता का विवरण।

## मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना

क्र० सं०	योजना का नाम	उद्देश्य	देय राजसहायता	अधिकतमसीमा प्रति लाभार्थी (रूपये/संख्या/है० में)
1	मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना	सब्जी बीज/फल पौध/पुष्प बीज या बल्ब	50 प्रतिशत पर	
2		अदरक, हल्दी बीज		
3		जैविक रसायन,कीट एवं रोगनाषक रसायन	60 प्रतिशत पर	
4		कूल हाउस (30 मै०टन क्षमता)	50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू० 7.50 लाख राजसहायता पर	
5		रैफ्रिजेरेटेड वैन (9 मै०टन क्षमता)	50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू० 13.00 लाख राजसहायता पर	

# नाबार्ड की RIDF योजनान्तर्गत कलस्टर आधारित पॉलीहाउस की स्थापना



1. योजनान्तर्गत पॉलीहाउस स्थापना हेतु 80 प्रतिषत राजसहायता प्रदान की जा रही।
2. लाभार्थी : योजनान्तर्गत मध्यम कृषक, कृषक, महिलायें, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियाँ, उद्यान / कृषि / NRLM / ग्राम्य विकास / FPO / REAP / FPC / JICA / PACS / PG में पंजीकृत समूह योजना के अन्तर्गत आवेदन के पात्र है।
3. राजसहायता व कृषक अंश: नाबार्ड की आर0आई0डी0एफ0 पॉलीहाउस स्थापना एवं स्थापना उपरान्त केवल प्रथम वर्ष में पुष्प/सब्जी रोपण सामग्री हेतु लाभार्थी को पॉलीहाउस एवं रोपण सामग्री पर 80 प्रतिषत राजसहायता देय होगी तथा 20 प्रतिषत कृषक/समूह आदि द्वारा वहन किया जायेगा।
5. राजसहायता व कृषक अंश: नाबार्ड की आर0आई0डी0एफ0 पॉलीहाउस स्थापना एवं स्थापना उपरान्त केवल प्रथम वर्ष में पुष्प/सब्जी रोपण सामग्री हेतु लाभार्थी को पॉलीहाउस एवं रोपण सामग्री पर 80 प्रतिषत राजसहायता देय होगी तथा 20 प्रतिषत कृषक/समूह आदि द्वारा वहन किया जायेगा।
4. निःशुल्क आवेदन हेतु <https://dohfp.uk.gov.in> में लॉगिन किया जा सकता है व अधिक जानकारी एवं आवेदन हेतु संबंधित उद्यान सचल दल केन्द्र प्रभारियों से सम्पर्क किया जा सकता।



## प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पी0एम0एफ0एम0ई0)

### PRADHAN MANTRI FORMALISATION OF MICRO FOOD PROCESSING ENTERPRISES SCHEME (PMFME)

- सूक्ष्म खाद्य उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण इकाई हेतु कैपिटल पूंजी पर 35 प्रतिषत, अधिकतम रु0 10 लाख तक राजसहायता।
- एफ0पी0ओ0, निजी सूक्ष्म खाद्य उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों एवं को-ओपरेटिक्स को सहायता।
- स्वयं सहायता समूहों की प्रारम्भिक पूंजी व पहले से खाद्य प्रसंस्करण में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों को सीड कैपिटल पर अनुदान।
- सामान्य अवसंरचना हेतु कैपिटल पूंजी पर 35 प्रतिषत अधिकतम रु0 3 करोड़ तक राजसहायता।
- उत्पाद की ब्रांडिंग, विपणन व क्षमता विस्तार एवं विकास हेतु सहायता।

### खाद्य प्रसंस्करण आधारित पदार्थ:—

जैम, जैली, अचार, प्यूरी, जूस एवं स्कवैष, मुरब्बा, सोस/कैचप, चिप्स, कैंडी, बेकरी प्रोडक्ट्स, दुग्ध व शहद उत्पाद, आटा चक्की, इत्यादि।

**Thank**

**You...**

